न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 31/2021

धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम पक्ष .... सचिता नंद पिता स्व0 दीन बंधु नंद ।

बनाम

द्वितीय पक्ष .... शरद पासवान दुर्गा सिंह .... बगैरह।

11/1/22

वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 44/2021 दिनांक 26/10/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) सचिता नंद पिता स्व0 दीन बंधु नंद ग्राम कलिगा थाना बसिया जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) शरद पासवान उम्र 45 वष्र पिता स्व0 मोहन राम (2) दुर्गा सिंह पिता स्व0 मोहन सिंह उम्र 49 वर्ष (3) हीरा सिंह उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 करिया सिंह (4) बचन सिंह उम्र 42 वर्ष पिता स्व0 फिरन सिंह सभी ग्राम कलिगा थाना बसिया जिला गुमला के बीच मौजा कलिगा के खाता सं0 13 प्लॉट सं0 719 रकबा 0.90 एकड़ प्लॉट सं0 720 रकबा 1.15 एकड़ तथा प्लॉट सं0 1414 रकबा 1.36 एकड़ भूमि में उभय पक्षो के द्वारा अपना अपना दखल को लेकर उभय पक्ष के बीच तनाव बना हुआ है। फलस्वरूप उभय पक्षों द्वारा अशांति भंग होने की सम्भावना है। थाना प्रभारी बसिया के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है।

प्रथम पक्ष की आरे से विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि मौजा कलिगा के अन्तर्गत खाता सं0 13 प्लॉट सं0 719 रकबा 0.90 एकड़, प्लॉट सं0 720 रकबा 1.15 एकड़ तथा प्लॉट सं0 1414 रकबा 1.36 एकड़ भूमि के खतियानी रैयत करूणाकर नंद, माधो नंद वो दीनबंधु नंद वल्द उसनो नंद बगैरह के नाम से खतियान में दर्ज है इनके मृत्योपरान्त जमीन का दखलकार प्रथम पक्ष के सचिता नंद वल्द स्व0 दीनबंधु नंद के द्वारा झारखण्ड सरकार को मालगुजारी अदा कर खेती बारी करते आ रहे है।

लेकिन हाल का सुरत ऐसा है कि दिनांक 12/09/2021 को द्वितीय पक्ष के सदस्य सं0 01 शरद पासवान के द्वारा खाता सं0 13 प्लॉट सं0 719 रकबा 0.90 एकड़ द्वितीय पक्ष के सदस्य दुर्गा सिंह तीसरे सदस्य हिरा सिंह वो सदस्य सं0 चार शिवचन सिहं के द्वारा खाता सं0 13 प्लॉट सं0 720 रकबा 1.15 एकड़ वो प्लॉट सं0 1414 रकबा 1.36 एकड़ जमीन टांड वो दोन में द्वितीय पक्ष हरवे हथियार से लैस होकर खेत को जोतने पर उतारू हो गये तथा मना करने पर द्वितीय पक्ष के सभी सदस्यगण जान से मारने की धमकी देने लगे जिससे दोनो पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है तथा कभी भी शांति भंग होने की संभावना बना हुआ है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपरोक्त जमीन पर धारा 144 दं0प्र0सं0 लगाते हुए उपरोक्त जमीन पर द्वितीय पक्ष को जाने से रोका जाय।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 खतियान की छाया प्रति।

2 लगान रसिद की छाया प्रति।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी

द्वितीय पक्ष की ओर से न्यायालय में उपस्थित हुए है किसी प्रकार कारण कारण पृच्छा, जवाब दाखिल एवं उक्त वाद्गत भूमि से संबंधित किसी प्रकार का कागजात न्यायालय में उपस्थित नहीं किया गया है।

थाना प्रभारी बसिया एवं प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल जवाब एवं वाद्गत भूमि से संबंधित कागजात से स्पष्ट है कि वाद्गत भूमि मौजा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब, कागजात, बहस एवं पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाद्गत भूमि मौजा कलिगा के अन्तर्गत खाता सं0 13 प्लॉट सं0 719 रकबा 0.90 एकड़, प्लॉट सं0 720 रकबा 1.15 एकड़ तथा प्लॉट सं0 1414 रकबा 1.36 एकड़ भूमि के खतियानी रैयत करूणाकर नंद, माधो नंद वो दीनबंधु नंद वल्द उसनो नंद बगैरह के नाम से खतियान में दर्ज है इनके मृत्योपरान्त जमीन का दखलकार प्रथम पक्ष के सचिता नंद वल्द स्व0 दीनबंधु नंद के द्वारा झारखण्ड सरकार को मालगुजारी अदा कर खेती बारी करते आ रहे है। वही उक्त वाद्गत भूमि के संबंध में द्वितीय पक्ष की ओर से किसी प्रकार का जवाब एवं भूमि संबंधि कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है द्वितीय पक्ष न्यायालय में उपस्थित मात्र हुए है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त वाद्गत भूमि में द्वितीय पक्ष को कुछ नहीं कहना है द्वितीय पक्ष बिना हक व सरोकार के उक्त भूमि में अपना दखल कर खेती करने का प्रयास करते है।

अतः थाना प्रभारी के जॉच प्रतिवेदन एवं प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल उक्त वाद्गत भूमि मौजा कलिगा के अन्तर्गत खाता सं0 13 प्लॉट सं0 719 रकबा 0.90 एकड़, प्लॉट सं0 720 रकबा 1.15 एकड़ तथा प्लॉट सं0 1414 रकबा 1.36 एकड़ भूमि उक्त वाद्गत भूमि स्वत्व से संबंधित मामला है। वाद की कारवाई की समयअवधि में उभय पक्षो के बीच किसी प्रकार की घटना की सूचना थाना बसिया एवं अन्य स्रोत से अप्राप्त है। अतः धारा 144 द0 प्र0 स0 की कार्यवाही बिना गुण दोष के समाप्त किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया(गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

प्रतिलिपिः– थाना प्रभारी बसिया के अप्राथमिकी सं0 44/2021 दिनांक 26/10/2021 के आलोक में पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं अनुपालार्थ प्रेषित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.12.06 12:21:58 +05:30
Location: 192.168.1.3